रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221832
CG-DL-E-19092020-221832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942
No. 369] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 को और आगे संशोधित करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण:

1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में,-

1) अनुसूची-1 क में "सामग्री विशिष्टियाँ" शीर्षक वाले पैराग्राफ में "स्टील पाइप" शीर्षक वाले उप-पैराग्राफ में "इस मानक के अनुबंध-III के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओ के अनुरूप होनी चाहिए।" शब्दों के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः :-

"प्रबलित थर्मोप्लास्टिक पाइप (आरटीपी) या बहुस्तरीय थर्मोप्लास्टिक पाइप

प्रबलित थर्मोप्लास्टिक पाइप (आरटीपी) या बहुपरत थर्मोप्लास्टिक पाइप निम्नलिखित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करेंगे, नामतः: -

क. प्रणाली इसकी संपूर्णता में अर्थात पाइप, संबद्ध फिटिंग, उपकरण आदि एपीआई 15एस या आईएसओ 18226 या एएसएमई एनएम 1 के अनुरूप होंगे;

ख. सभी फिटिंग्स, संयुक्त, वाल्व आदि की अखंडता लागू मानकों के अनुसार मूल पाइपलाइन डिजाइन के अनुरूप होंगी;

ग. ऑपरेटिंग दबाव 7 किलोग्राम/वर्ग सेंटीमीटर से कम होने की स्थिति में पीई (पॉलीथीलीन) पाइप के उपयोग से संबंधित इस विनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा;

घ. यदि ऑपरेटिंग दबाव 7 किलोग्राम/ वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है तो कंक्रीट स्लैब, उच्च प्रभाव प्रतिरोध प्लास्टिक शीट, स्टील आवरण जैसे अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय प्रभाव प्रतिरोध के लिए प्रदान किए जाएंगे;

इ. प्रणाली में स्टील फिटिंग के लिए कैथोडिक सुरक्षा डिजाइन या सेवा जीवन के अनुरूप प्रदान की जाएगी और प्रभावी सुरक्षा के लिए निगरानी की जाएगी;

च. संपूर्ण प्रणाली के लिए कंपनी द्वारा मात्रात्मक जोखिम विश्लेषण किया जाएगा और प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए शमन उपाय किए जाएंगे; तथा

छ. थर्मोप्लास्टिक पाइप (आरटीपी) या बहुपरत थर्मोप्लास्टिक पाइपलाइनों के उपयोग के प्रस्ताव को संबंधित जोखिम पर पूर्ण खुलासे के साथ कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।"

2) अनुसूची 1ग में पैरा (क) में उप-पैरा शीर्षक "वाल्व और फ्लेंजेस के अलावा फिटिंग" में "क्रमशः 0.3 और 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जाएगा।" शब्द "ईएन 1555-1, और आईएसओ 4437-1 की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

3) अनुसूची 1 घ के लिए

क. "अभिकल्प स्थापना और जांच" पैरा में "सीजीडी नेटवर्क व्याख्या" शीर्षक वाले उप-पैरा में;

i. बिंदु (ii) में "गौण नेटवर्क" शीर्षक में "थर्मोप्लास्टिक" शब्द के पश्चात "(पीई)" शब्द सम्मिलित होगा और "(एमडीपीई)" शब्द का लोप हो जाएगा;

ii. "तृतीयक नेटवर्क" शीर्षक वाले बिंदु (iii) में "(एमडीपीई)" शब्द "(पीई)" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

ख. "वाल्व" शीर्षक वाले पैरा के अंतर्गत पैरा (क) में "3 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं लगाए जाते" शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द सम्मिलित होंगे: "निम्नलिखित का अनुपालन करने के पश्चात स्थल श्रेणी को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका सीमा के बाहर सीजीडी नेटवर्क में स्टील पाइप में अनुभागीय वाल्वों के बीच अंतर-दूरी को पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों और तकनीकी मानकों सहित विशिष्टियाँ) विनियम, 2009 के अनुसार बनाए रखा जा सकता है, नामतः

i. सीजीडी नेटवर्क में स्टील पाइपलाइनों को स्थल श्रेणी-4 पर विचार करके डिजाइन किया जाएगा;

ii. नेटवर्क में गैस को गंधित और फ़िल्टर किया जाता है; तथा

iii. जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन के मामले में स्थान वर्ग के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसवी की अतिरिक्त संख्या प्रदान की जाएगी। स्थल वर्ग का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।"

ग. "गैस सेवा लाइनें" शीर्षक वाले पैराग्राफ के अंतर्गत "सेवा लाइनों की स्थापना" शीर्षक वाले उप-पैरा में "जब कभी ऊपर उठी हुई" शब्दों से आरंभ होने वाले और "रोशनदान उपलब्ध कराए जाने चाहिए" शब्दों से समाप्त होने वाले के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः:- "प्राकृतिक वायुसंचार उपलब्ध न होने की स्थिति में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बहु अधिवास आवासीय भवनों में गैस की आपूर्ति) दिशानिर्देश, 2020 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्राहकों को गैस की आपूर्ति) दिशानिर्देश, 2020, जैसा उपयुक्त हो, पालन किया जाएगा।"

4) अनुसूची 1 ड़ में "पाइपलाइन सर्विस परिवर्तन" शीर्षक के अंतर्गत "अनुमति नहीं की जाती" शब्द के पश्चात "जब तक यह इन विनियमों की अपेक्षाएँ पूर्ण नहीं करता है" शब्द सम्मिलित होंगे।

5) अनुबंध-2 में "मिटरिंग (मापन) उपकरण" शीर्षक वाले पैरा में:-

i. "ओआईएमएल आर 137- 1 एवं 2" शीर्षक वाले उप-पैरा में "गैस मीटर्स" शब्द "आईएसओ 14511 की पुष्टि करने वाले थर्मल मास फ्लो गैस मीटर्स" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे; और

ii. "ई.एन. 12261 गैस मीटर" शीर्षक वाले उप-पैरा के पश्चात और उससे संबद्ध प्रविष्टियाँ, "टरबाइन गैस मीटर " के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः "बीएस ईएन 14236: अल्ट्रासोनिक घरेलू गैस मीटर्स; आईएसओ 17089-2: बंद नालियों में द्रव प्रवाह का मापन -गैस के लिए अल्ट्रासोनिक मीटर्स -भाग 2 - औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीटर।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./226/2020-21]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को जी.एस.आर. 612 (ई), दिनांक 27 अगस्त, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात जीएसआर 750 (ई), दिनांक 14.10.2009 और फा.संख्या एम(I)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 16.12.2014 और फा. संख्या एल-एमआईएससी/VI/I/2007, दिनांक 01.01.2015 और फा. संख्या एम(I)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 09.03.2016 और फा. संख्या एम(I)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 24.11.2016 और फा. संख्या पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2019, दिनांक 07.11.2019 और फा. संख्या पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(06)/2020, दिनांक 30.06.2020 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:-

1. **Short title and commencement**:

   1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2020.

   2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

   1) In Schedule-1A, in the paragraph heading," MATERIAL SPECIFICATIONS", in sub-para heading, "Steel Pipe", after the words, "Annexure-III of this standard", the following shall be inserted, namely:

      "**Reinforced Thermoplastic Pipes (RTP) or Multi Layered Thermoplastic Pipes**

      Reinforced Thermoplastic Pipes (RTP) or multilayered thermoplastic pipes shall comply with the following requirements, namely: -

      a. The system in its entirety that is to say pipe, associated fittings, tools etc. shall conform to API 15S or ISO 18226 or ASME NM 1;

b. Integrity of all fittings, joint, valves etc. shall commensurate with original pipeline design as per applicable standards;

c. In case, the operating pressure is less than 7 Kg/cm^2, all the provisions of this regulation related to the use of PE (polyethylene) pipes shall be complied with;

d. If the operating pressure is greater than 7 Kg/cm^2, additional protective measures for impact resistance such as concrete slabs, high impact resistance plastic sheets, steel casing shall be provided;

e. The cathodic protection for steel fittings in the system shall be provided in line with the design or service life and shall be monitored for effective protection;

f. Quantitative risk analysis shall be carried out by the entity for the entire system and mitigation measures shall be taken to ensure integrity of the system; and

g. The proposal, for use of Reinforced Thermoplastic Pipes (RTP) or multilayered thermoplastic pipelines, shall be approved by the board of the entity with complete disclosures on associated risk."

2) In Schedule 1C, in Para (a) under the Sub-Para heading, "Fittings other than Valves and Flanges", the words, "not exceed 0.3 and 0.5 percent respectively.", shall be substituted by the words, "meet the requirements as per EN 1555-1, and ISO 4437-1."

3) For Schedule 1D,

A. In para heading, "DESIGN INSTALLATION AND TESTING", in sub-para heading, "CGD Network Description";

i. In point (ii) with heading, "Secondary Network", after the word, "thermoplastic", the word, "(PE)", shall be inserted and the word, "(MDPE)" shall be omitted;

ii. In point (iii) with heading, "Tertiary Network", the word, "(MDPE)" shall be substituted by "(PE)".

B. In Para (a), under the para heading, "VALVES", after the words, "not be more than 3kms", the following shall be inserted, namely:

"The inter–distance between the Sectionalising Valves in steel pipes in CGD networks outside municipal limits can be maintained as per PNGRB (Technical Standards and Specifications including safety Standards for Natural gas pipelines) Regulations, 2009 considering the location class after complying the following, namely:

i. The steel pipelines in the CGD networks shall be designed considering location Class-4;

ii. The gas in the network is odorized and filtered; and

iii. Additional number of SVs shall be provided to meet the requirements as per location class in case of, the change in the population density. The assessment of location class shall be undertaken every year."

C. In Sub-Para heading, "Installation of Service Lines", under the Paragraph heading, "GAS SERVICE LINES", after the words beginning with, "Wherever the service line", and ending with the words, "in confined space", the following shall be inserted, namely:-

"In case, natural ventilation is not available, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Supplies to Multi Occupancy Residential Buildings) Guidelines, 2020 and the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Supplies to Industrial, Commercial Customers) Guidelines, 2020. as applicable shall be adhered to."

4) In Schedule 1E, under para heading, "PIPELINE SERVICE CONVERSIONS", the word, "duel', shall be substituted by the word, "dual" and after the word, "permitted", the words, "unless it meets the requirements of these regulations." Shall be inserted.

5) In Annexure-II, in the Para heading, “Metering Equipment”:

i. in sub-para heading, “OIML R 137-1&2”, for the words, “Gas Meters”, the words, “Thermal Mass Flow Gas Meters conforming to ISO 14511.” shall be substituted; and

ii. after sub-para heading “EN 12261 Gas meters”, and the entries relating thereto after the words, Turbine gas meters”, the following shall be inserted, namely:

“BS EN 14236: Ultrasonic domestic gas meters;

ISO 17089-2: Measurement of fluid flow in closed Conduits -Ultrasonic meters for gas –Part 2- Meters for industrial applications.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./226/2020-21]

Foot Note : The Principal regulations were notified vide G.S.R. 612(E), dated 27.08.2008, and subsequently amended vide G.S.R. 750(E), dated 14.10.2009 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 16-12-2014 and F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 09.03.2016 and F.No. M(I)/T4S/ CGD/1/2010, dated 24.11.2016 and F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019, dated 07.11.2019 and F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(06)/2020, dated 30.06.2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM